

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
ई-प्रोक्योरमेन्ट सूचना अल्पकालिन
(प्रथम आमंत्रण)

ई-निविदा सूचना संख्या - (धनबाद) 01/2026-27

तिथि - 25.04.2026

1	वेबसाइट पर निविदा प्रकाशन की तिथि	-:	04.05.2026 समय 03.00 बजे अपराहन् तक			
2	निविदा प्राप्ति (ऑन लाईन बिडींग) की अन्तिम तिथि एवं समय	-:	25.05-2026 समय 04.00 बजे अपराहन् तक			
3	सरकार के सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस, झारखंड मंत्रालय के ज्ञापांक-120 दिनांक-03.10.2023 के आलोक में विपत्र का मूल्य एवं अग्रधन का राशि ऑनलाईन जमा करने का अंतिम तिथि एवं समय	-:	25.05.2026 समय 04.00 बजे अपराहन् तक			
4	तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय	-:	26.05.2026 समय 04:00 बजे अपराहन्			
5	तकनीकी बिड खोलने का स्थान	-:	अधीक्षण अभियंता का कार्यालय पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक अंचल, दुमका।			
6	निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम/पदनाम	-:	ई0 मयंक कुमार भगत, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमंडल, धनबाद।			
7	निविदा आमंत्रित करने वाले कार्यालय का टेलिफोन नं0	-:	0326-2308988			
8	ई- प्रोक्यूरमेन्ट सेल का हेल्प लाईन सं0	-:	0651-480345			
	कार्य का नाम	ग्रुप	प्राक्कलित राशि (रु० में)	अग्रधन की राशि (रु० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	Renovation of Electro-Mechanical System at Rural Water Supply Scheme at Mairanwatand under D.W & S mechanical Division, Dhanbad.	A	21,14,924.00	42,500.00	5,000.00	02 माह
2	Renovation of Electro-Mechanical System at Rural Water Supply Scheme at Ojhadih-Katania under D.W & S mechanical Division, Dhanbad.	B	38,90,557.00	78,000.00	5,000.00	02 माह

नोट - केवल ई निविदा ही स्वीकार किये जायेंगे।

उपरोक्त किसी तिथि को अवकाश घोषित होने पर अगले कार्य दिवस की तिथि को माना जायेगा।

ऐसे संवेदक जिन्हें पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखण्ड सरकार का निबंधन प्राप्त नहीं है वे भी निविदा में भाग ले सकते हैं बशर्ते कि वैसे सफल निविदादाता को एकरारनामा के पूर्व पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, में निबंधन पत्र प्राप्त कर लेना होगा।

निविदा की सूचना तथा नियम शर्तों की जानकारी प्रमंडलीय तथा अंचल कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। निविदा की जानकारी के लिए वेबसाइट <http://jharkhandtender.gov.in> पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता
पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमंडल,
धनबाद।

नियम व शर्त

1. परिमाण विपत्र में वर्णित अग्रधन की राशि Online जमा करना होगा जिसका UTR Detail अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
2. केवल निर्माणकर्ता या उनके प्राधिकृत विक्रेता ही निविदा में भाग ले सकते हैं एवं उन्हें सरकारी विभाग/सरकारी उपक्रम में समान कार्यानुभव हो, एव विभाग में निबंधन होना अनिवार्य है। वैसे निविदादाता भी निविदा में भाग ले सकते हैं जिनका निबंधन विभाग में नहीं है, परन्तु अन्य सभी अर्हता एवं शर्तें पूरी करते हो परन्तु निविदा में सफल होने के उपरान्त उन्हें एकरारनामा के पूर्व विभाग में निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
3. निविदा की सूचना सम्बन्धित कार्यपालक अभियन्ता के कार्यालय / अधीक्षण अभियन्ता पेयजल एवं स्वच्छता यॉत्रिक, अंचल, दुमका के कार्यालय के सूचना पटल पर देखा जा सकता है।
4. निविदाकार को GSTN में निबंधन एवं Last Three Quarter GST Return, UCAN प्रमाण-पत्र, पैनकार्ड आदि की छायाप्रति जो कि स्वहस्ताक्षरित हो की प्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
5. तकनीकी बिड में अपलोड किये जाने वाले सारे कागजात मोहर सहित स्वहस्ताक्षरित, एन0आई0टी0 के तकनीकी पार्ट भरें हुए तथा मोहर सहित स्वहस्ताक्षरित तथा संलग्न सभी नियम व शर्तें मुहर सहित स्वहस्ताक्षरित कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। परिमाण विपत्र का मुल्य, अग्रधन की राशि, Online ही भुगतान करना है।
6. सशर्त निविदा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगा।
7. फर्जी अथवा गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में निविदाकार पर उचित कानूनी कारवाई के साथ-साथ काली सूची में डालने की कारवाई की जा सकती है।
8. संवेदक को परिमाण विपत्र में दर्शाई गई सामग्रीवार दर अंक एवं शब्दों में अंकित करना होगा।
9. निविदाकारों द्वारा सामाग्रीवार अंकित दर को पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, कर, दुलाई, फिक्सिंग, इन्सोरेन्स चार्ज, थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन चार्ज इत्यादि सहित माना जायेगा एवं इसके लिए अलग से कोई दावा मान्य नहीं होगा।
10. निविदाकारों को थर्डपार्टी इन्सपेक्शन मानक मापदंडों के अनुसार एवं विभागीय Letter No.- 972 (CDO) Dated-10-12-2020, Letter No. 336 (CDO) Dated-27.02.2021, पत्रांक-644 दिनांक- 25.07.2022 एवं पत्रांक-117 (CDO) दिनांक-25.01.2024 के निर्देशानुसार कराना अनिवार्य होगा एवं इसकी लागत निविदाकार को ही वहन करना होगा।
11. निविदाकारों को समानों को गंतव्य स्थान तक पहुँचाने हेतु अपने स्तर से रोड परमिट की व्यवस्था करनी होगी एवं इस का लागत स्वयं वहन करना होगा।
12. परिमाण विपत्र के साथ संलग्न अन्य शर्तें निविदाकारों के लिए वाध्यकारी होगा।
13. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार एवं आपूर्ति आदेश को एक से अधिक निविदाकारों के बीच वितरण का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेंगा।
14. इस निविदा से संबंधित किसी भी तरह का परिवाद केवल झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के परिसीमा में होगा।
15. अधोहस्ताक्षरी को निविदा किसी भी स्तर पर हो उसे पूर्ण अथवा आंशिक रूप से रद्द करने का अधिकार होगा।
16. **Character Certificate must to be enclosed.**
17. **Self Cleanliness Certificate must to be enclosed.**
18. **Site Inspection Report must to be enclosed.**
19. कार्यादेश के निर्गत होने के 15 दिनों के भीतर निविदाकार को एकरारनामा कर लेना होगा अन्यथा अग्रधन की राशि राज्यसात कर ली जायगी।
20. निविदा में अंकित दर छः माह के लिए मान्य होगा तथा भुगतान में विलम्ब के कारण किसी भी प्रकार के दर वृद्धि से संबंधित मांग मान्य नहीं होगा।
21. सफल निविदाकारों को कार्यादेश में वर्णित कार्यों को स्वयं करना होगा एवं इस के लिए सबलेटिंग मान्य नहीं होगा।
22. योजना स्वीकृति के पश्चात ही कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
23. किसी भी विवाद की स्थिति में विभाग द्वारा लिया गया निर्णय मान्य एवं बाध्यकारी होगा।

24. अपरिहार्य कारणों से यदि निविदाकारों को भुगतान देने में विलम्ब होता है अथवा कार्यादेश में वर्णित सामग्रीयों के मूल्य में वृद्धि होती है तो इन परिस्थितियों के लिए निविदाकार द्वारा पेश किया गया कोई भी वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा।
25. निविदा में भाग लेने वाले निविदाकारों को यह ध्यान में रखना होगा कि वर्णित कार्य जरूरी प्रकृति का है एवं निर्धारित समय सीमा में पर्याप्त गुणवत्ता के साथ कार्य को पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
26. परिमाण विपत्र में अंकित किये गये समानों में फेर बदल हो सकता है उसके अनुरूप अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र का मूल्य मान्य होगा।
27. निविदाकार द्वारा 10 प्रतिशत से न्यूनतम दर उद्धृत किये जाने की स्थिति में Additional Performance Security का निर्धारण एवं एक से अधिक निविदाकारों के दर न्यूनतम होने की स्थिति में पथ निर्माण विभाग के संकल्प सं०- 2146 दिनांक-09.09.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप निर्णय लिया जायेगा।

कार्यपालक अभियन्ता
पेयजल एवं स्वच्छता यॉंत्रिक प्रमंडल,
धनबाद।

(जल बहुमूल्य है इसे बर्बाद न करें)